

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

संख्या : 75 / 2020

गण

1. पुरखाराम पुत्र जेठाराम
जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

प्रतिवादीगण

बनाम


1. मदाराम वल्द भगाराम
2. मूलाराम वल्द भगाराम
3. सताराम वल्द भगाराम
4. हरजीराम पुत्र भगाराम
5. मगाराम पुत्र भगाराम
6. भोपालसिंह वल्द जेताराम
7. रमेश पुत्र जेताराम
8. धर्मीदेवी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा
9. स्वरूपसिंह वल्द जगमालसिंह
10. ओमसिंह वल्द जगमालसिंह
11. दुर्गासिंह वल्द जगमालसिंह
12. पेमसिंह वल्द जगमालसिंह
13. अनोपसिंह वल्द जगमालसिंह
14. हनुवन्तसिंह वल्द जगमालसिंह
15. मथरोदेवी पत्नी जगमालसिंह
16. स्वरूपसिंह वल्द प्रभुसिंह
17. सायर पत्नी प्रभुसिंह जाति पुरोहित निवासी तेजियावास
18. भेराराम पुत्र फूसाराम जाति मेगवाल निवासी तेजियावास
19. भूरा वल्द सोना
20. राहिगा पुत्र सोना
21. हिमता वल्द सोना
22. डालु वल्द गुमना
23. भीया वल्द गुमना जाति कुंभार निवासी तेजियावास
24. चिमना वल्द मगा जाति कुंभार निवासी तेजियावास
25. मेहराराम वल्द बागाराम
26. मंगलाराम पुत्र बागाराम
27. मानाराम पुत्र बागाराम
28. नेनूदेवी पत्नी बागाराम
29. पाबू पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल
30. भीया वल्द दूदा
31. पूनमा वल्द दूदा
32. कुभा वल्द दूदा
33. हरा वल्द दूदा
34. कोशला वल्द दूदा
35. मंगली पत्नी दूदा
36. जालाराम वल्द नेनाराम
37. मांगीलाल वल्द नेनाराम
38. धीराराम वल्द नेनाराम
39. मंगलाराम वल्द लालाराम
40. रावताराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल
41. वीरमाराम वल्द चेनाराम
42. शंभूराम वल्द चेनाराम
43. मेहराराम वल्द बागाराम
44. चिमनाराम वल्द बागाराम जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी
45. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित:-

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

26/8/14



सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) महोदय,
उपखण्ड - गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

प्रार्थी :-

1. पुरखाराम पुत्र जेताराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. मदाराम वल्द भगाराम
2. मूलाराम वल्द भगाराम
3. सताराम वल्द भगाराम
4. हरजीराम पुत्र भगाराम
5. मगाराम पुत्र भगाराम जाति जाट निवासी तेजियावास
6. भोपालसिंह वल्द जेताराम
7. रमेश पुत्र जेताराम
8. धर्मीदेवी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा
9. स्वरूपसिंह वल्द जगमालसिंह -
10. ओमसिंह वल्द जगमालसिंह ✓
11. दुर्गासिंह वल्द जगमालसिंह -
12. पेमसिंह वल्द जगमालसिंह -
13. अनोपसिंह वल्द जगमालसिंह -
14. हनुवन्तसिंह वल्द जगमालसिंह -
15. मथरोदेवी पत्नी जगमालसिंह -
16. स्वरूपसिंह वल्द प्रभूसिंह -
17. सायर पत्नी प्रभूसिंह जाति पुरोहित निवासी तेजियावास -
18. भेराराम पुत्र फुसाराम जाति मेगवाल निवासी तेजियावास

(Handwritten signature)

20/11/14
526/11/14

19. भूरा वल्द सोना
20. राहिंंगा पुत्र सोना
21. हिमता वल्द सोना
22. डालु वल्द गुमना
23. भीया वल्द गुमना जाति कुंभार निवासी तेजियावास
24. चिमना वल्द मगा जाति कुंभार निवासी तेजियावास
25. मेहराराम वल्द बागाराम
26. मंगलाराम पुत्र बागाराम
27. मानाराम पुत्र बागाराम
28. नेनूदेवी पत्नी बागाराम
29. पाबु पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल
30. भीया वल्द दूदा
31. पूनमा वल्द दूदा
32. कुंभा वल्द दूदा
33. हरा वल्द दूदा
34. कोशला वल्द दूदा
35. मंगली पत्नी दूदा
36. जालाराम वल्द नेनाराम
37. मांगीलाल वल्द नेनाराम
38. धीराराम वल्द नेनाराम
39. मंगलाराम वल्द लालाराम
40. रावताराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल
41. वीरमाराम वल्द चैनाराम
42. शंभूराम वल्द चैनाराम
43. मेहराराम वल्द बागाराम
44. चिमनाराम वल्द बागाराम जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील
गुड़ामालानी
45. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

रयजी,

निवेदन प्रार्थी का निम्न प्रकार से है कि :-

1. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि तहसील गुड़ामालानी के पटवार मण्डल बेरीगांव के ग्राम तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 78, 25, 60 रकबा क्रमशः 14-00, 34-02, 12-17 बीघा किरम बारानी दायम की आयी हुई है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा-काश्त हैं, तथा प्रार्थी की बाड़े, टांके आदि बने हुए हैं। नकल वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा साथ संलग्न है।
2. यह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा-सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माटें तथा सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है। तथा विप्रार्थीगण हमेशा प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। तथा हर समय झगड़ा होने की आशंका रहती है।
3. यह कि प्रार्थी हमेशा के लिए भूमि के सेढों बाबत विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाना चाहता है।
4. यह कि प्रार्थी ने अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए कई बार हल्का पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक से निवेदन किया, परन्तु हल्का पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक ने विवाद की स्थिति होने के कारण नेखमबंदी का आदेश श्रीमान् न्यायालय से प्राप्त करने हेतु श्रीमान् के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर यह आवेदन नेखमबंदी का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. कि मौके पर विवाद की स्थिति होने के कारण राजस्व कर्मचारियों को शांतिपूर्ण नेखमबंदी करने हेतु संबंधित पुलिस थाना हल्का गुड़ामालानी को निर्देशित किया जावें

कि वो नेखमबंदी के दौरान मौके पर शांति बनाये रखने हेतू पुलिस ईमदाद प्रदान करावें।

6. यह कि प्रार्थी नेखमबंदी संबंधी सामग्री मौके पर उपलब्ध करवाने एवं नेखमबंदी संबंधी फीस अदा करने को तैयार है।
7. यह है कि वादग्रस्त भूमि मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी में स्थित होने के कारण यह नेखमबंदी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है।
8. यह कि राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/- रुपये का साथ पेश है।

अतः श्रीमान्जी के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पटवार मण्डल बेरीगांव के ग्राम तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 78, 25, 60 रकबा क्रमशः 14-00, 34-02, 12-17 बीघा किस्म बारानी दोगम की नेखमबन्दी मय पुलिस ईमदाद से करवाने का आदेश फरवाने की कृपा करावें।

दिनांक 12/06/2020

(कृष्णवर्मा) प्रार्थी

कृष्णवर्मा
प्रार्थी
उरकगाड

11/1/21 पत्रावली काज देवा हुयी डीने पक्षे
के वकील उपस्थित। वकील विषयगत
जवाब देत एक कोर करार पाएते
ये करार दिया जाकर पत्रावली विवेक
22/1/21 को देवा है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

22/01/21 पत्रावली काज देवा हुयी डीने पक्षे
के वकील उपस्थित। वकील विषयगत हं.
9/1/17 को कोर के जवाब देवा किया गया।
डीने पक्षे को बहक हुयी गयी। कोर
करार के लिखाया जाकर खुले न्यायालय
दुकाना गया। कोर को पालनार्थ सद्वीक्षण
गुडामालानी को सहीर जारी हो। पालन
जाए है पर शाखिल पत्रावली को जारी
विवेक सुनार होकर लिखिल देवा है।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी